**ग्रेटर नोएडा में जेवर नामक स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना एवं जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-**

उपस्थिति (संलग्न है)

बैठक में उपस्थिति अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

**1- जेवर एयरपोर्ट**

(क) Social Impact Assessment Study की कार्यवाही पूर्ण हो गई है और अब इससे सम्बन्धित ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उपजिलाधिकारी, जेवर द्वारा लोक सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के लिए न्यूनतम 60 दिनों की अवधि निर्धारित है और 15 जून, 2018 तक सुनवाई के पश्चात् रिपोर्ट का मूल्यांकन स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा SIA रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह के गठन की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जाए।

(ख) प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए सम्प्रति लगभग 1441 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता ऑकलित की गई है।

**2- चित्रकूट हवाई पट्टी**

चित्रकूट हवाई पट्टी हेतु ली गई 63.269 हैक्टेयर वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की ग्राम सभा की भूमि वन विभाग को दी गई है, किन्तु वन विभाग द्वारा अभी तक कार्य करने हेतु अनापत्ति नहीं दी गई है जिससे कार्य में प्रगति नहीं हो रही है।

निर्णय लिया गया कि उक्त भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु वन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को आख्या 02 दिन के भीतर पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन।
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 46/2018/869/छप्पन-2018-31/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।